अपील राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संख्या 06/2020 (GCMS 2020/00154) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑफिस क्रमांक 52एफ–509326) <u>बनाम</u> सजंय अग्रवाल, तहसीलदार, श्रीगंगानगर वगैरह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने श्री संजय अग्रवाल, तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2001 के तहत अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा संवेदनशील लम्बित अपराधिक रिविजन में जानबूझकर दूसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों से पुनः जांच न कर श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री उम्मेद सिंह जी के आदेशों की सरासर जानबूझकर उल्लंघना की है, इसलिए उक्त अधिकारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपनी अपील दिनांक 14.08.2020 के द्वारा निम्न अनुतोष चाहा हैः

1. उच्चाधिकारीयों के आदेशों की पालना में 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही की जावें एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री संजय जी अग्रवाल तहसीलदार (राजस्व), श्रीगगानगर के विरूद्ध की जावे।
2. आदेशों की अवहेलना करने [illegible]000/– रूपये जुर्माना धारा 7 के अन्तर्गत अधिरोपित किया जावे।
3. जांच किसी अधिकारी से [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी का प्रकरण राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बने नियमों के तहत जारी अनुसूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में नही आता है और न ही उक्त आदेश राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जारी किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं पर लागू होते है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी नियम के अनुसार विभिन्न विभागों के पदाभिहित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में उक्त सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करवानी होती है और समय सीमा में सूचना उपलब्ध न करवाने पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अपील करने का अधिकार है और वांछित सेवा के लिए राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 नियम 3 के तहत आवेदनकर्त्ता को पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने पर उसकी अभिस्वीकृति जारी की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त गांरटी अधिनियम के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है।

चूंकि उक्त प्रकरण राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बने नियमों के तहत जारी अनुसूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में नही आता है और न ही उक्त आदेश राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जारी किया गया है। **इसलिए उक्त अपील राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनिमय 2011 के अन्तर्गत ग्रहण करने योग्य नहीं है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल द[illegible] यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:35 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर